

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 32/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री मोहन लाल पुत्र श्री सुमेर सिंह जाति धानक निवासी वार्ड नं.  
06, पीलीबंगा, तहसील-पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व), पीलीबंगा।

---प्रत्यर्थी


आदेश

दिनांक:-18.07.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार(राजस्व), पीलीबंगा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी ने कथन किया कि तहसीलदार(राजस्व), पीलीबंगा से कोई सूचना नहीं मिली है। सूचना दिलाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार(राजस्व), पीलीबंगा से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। तहसीलदार(राजस्व), पीलीबंगा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2019 के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नियमानुसार आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

  
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
एवं जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़